रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73

REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 1976/भाद्र 2, 1898

No. 381] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 1976/BHADRA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23*rd August* 1976

S.O. 563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventeenth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule,—

(i) for entry 1B, the following entries shall be substituted, namely:—

"1B. Ministry of Civil Supplies and Cooperation (Nagrik Poorti aur Sahakarita Mantralaya).

1C. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya):

(i) Department of Foreign Trade (Videsh Vyapar Vibhag).

(ii) Department of Export Production (Niryat Utpadan Vibhag).

(iii) Department of Textiles (Vastr Vibhag).";

(ii) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:—

"10. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya):

(i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).

(ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).";

3. In the Second Schedule to the said rules,—

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)", in the entries under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)", the following entry shall be added at the end, namely:—

"10. Public Cooperation.";

(ii) after the heading "MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)" and the entries there-under, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHAKARITA MANTRALAYA)

I. INTERNAL TRADE

1. Internal Trade.
2. Inter-State Trade; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.
3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].
4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

II. TRADE MARKS, ETC.

5. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
6. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
7. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).
8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

III. CO-OPERATION

9. General policy in the field of Co-operation and co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in their respective fields).
10. Matters relating to National Co-operative Organisations.
11. National Co-operative Development Corporation.
12. Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.
13. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).
14. Consumer Co-operatives.
15. Public Distribution System.
16. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
17. The National Consumer Protection Council.
18. Regulation of packaged commodities.
19. Training in Legal Metrology.
20. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.";

(iii) for the heading "MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (UDYOG AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely:—

"MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)";

(iv) under the heading as so substituted,—

(a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)" in entry 24, the words, brackets and figures "the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952" shall be omitted;

(b) the sub-heading "C. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted.

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/6/76-CF]

J. S. MONGIA, Addl. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1976

का० आ० 563(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ सत्रहवां संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम 1961, (जिनको इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में,—

(I) प्रविष्टि 1 ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"1 ख. नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय।

1. ग. वाणिज्य मंत्रालय :

(i) विदेश व्यापार विभाग।

(ii) निर्यात उत्पादन विभाग।

(iii) वस्त्र विभाग।";

(II) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"10. उद्योग मंत्रालय :

(i) औद्योगिक विकास विभाग।

(ii) भारी उद्योग विभाग";

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,—

(i) "कृषि और सिंचाई" शीर्षक के अंतर्गत, उपशीर्षक "ग. ग्रामीण विकास विभाग" के अन्तर्गत प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त में जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"10. लोक सहकारिता।";

(ii) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

1. आन्तरिक व्यापार

1. आन्तरिक व्यापार ।
2. अन्तर्राज्यिक व्यापार ; स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955.
3. वायदा व्यापार का नियंत्रण [अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952]
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जिनसे विनिर्दिष्टत : कोई अन्य मंत्रालय संबद्ध नहीं है) ।

2. व्यापार चिह्न, आदि

5. व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958.
6. संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950.
7. बाट और माप मानक (बाट और माप मानक अधिनियम, 1956—बाट और माप मानक अधिनियम, 1976) ।
8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिनमें वायदा बाजार आयोग, मुम्बई भी सम्मिलित है ।

3. सहकारिता

9. सभी क्षेत्रों में सहकारिता और सहकारी क्रिया-कलापों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति (संबंधित मंत्रालय अपने अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी है) ।
10. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित विषय ।
11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।
12. ऐसी सहकारी संस्थाओं का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन ।
13. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है) ।
14. उपभोक्ता सहकारी संस्थायें ।

15. लोक वितरण प्रणाली ।

16. कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता ।

17. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।

18. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन

19. कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण ।

20. भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिह्न) अधिनियम, 1952";

(iii) "उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उद्योग मंत्रालय" ;

(iv) इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्षक के अन्तर्गत,—

(क) उप-शीर्षक "क. औद्योगिक विकास विभाग" के अन्तर्गत प्रविष्टि 24 में, "भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिह्न) अधिनियम, 1952" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप कर दिया जाएगा ;

(ख) उप-शीर्षक "ग. नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग" और उसके अन्तर्गत आनेवाली प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/6/76-सी एफ०]

जे० एस० मोंगिया, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1976